देश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

अनुमति वाद सं0– 06/2015–16

हरिबोल साह

बनाम

16 आना रैयत, मौजा– महाराजपुर बाजार

आदेश

25.4.19 आवेदक हरिबोल साह, पिता– स्व0 रामधनी साह, सा0– महाराजपुर बाजार, थाना– तालझारी, जिला– साहेबगंज के द्वारा दिनांक 09.07.2015 को समर्पित आवेदन पत्र पर ज्ञापांक 229/रा0, दिनांक 09.07.2015 द्वारा अंचल अधिकारी, तालझारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 08/रा0, दिनांक 13.02.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिससे संतुष्ट होकर दिनांक 04.03.2016 को कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं मौजा के 16 आना रैयतों को विधिवत् नोटिश निर्गत कर अनापत्ति की मांग की गयी है।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	ज0 नं0	दाग नं0	रकवा	चौहद्दी			
				उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
महाराजपुर बाजार	13	336 एवं 407	03 कट्ठा	हरि प्रसाद साह	घुटरू अंसारी	राजदेव चौधरी	सागरमल

नोटिश तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। मौजा के 16 आना रैयतों से किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।

अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 80/रा0, दिनांक 13.02.2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक को सुना। आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन पत्र में कहा गया है कि अपनी पत्नी की ईलाज हेतु मौजा– महाराजपुर बाजार के जमाबंदी नं0– 13, दाग नं0– 366 एवं 407, रकवा 03 कट्ठा जमीन बिक्री करना चाहता है। आवेदक ने किरण देवी, पति– कन्हैया महतो, सा0– नयाटोला, कल्याणी, थाना– तालझारी, जिला– साहेबगंज से उचित मूल्य पर आवेदित जमीन बिक्री करना तय किया है। उनके द्वारा जमीन बिक्री करने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुराध किया गया है।

अंचल अधिकारी, तालझारी ने राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक, तालझारी से जाँच कराकर यह प्रतिवेदित किये हैं कि आवेदक हरिबोल मंडल, पिता– स्व0 रामधनी साह, सा0– महाराजपुर बाजार, थाना– तालझारी, जिला– साहेबगंज मौजा महाराजपुर बाजार, जमाबंदी नं0– 13, दाग नं0 क्रमशः 364/72, रकवा 01 कट्ठा 04 धूर, दाग नं0– 365/71, रकवा 01 कट्ठा 04 धूर, दाग नं0– 366/70, रकवा 16 कट्ठा 07 धूर एवं दाग नं0 407/47, रकवा 05 कट्ठा 09 धूर अर्थात कुल रकवा 01 बीघा 04 कट्ठा 04 धूर नकल खतियान एवं खतियान स्लीप के अनुसार कंचन गोढ़ी वल्द पियारी गोडी व अनन्ती गोढ़ी वल्द गोपी गोढ़ी कौम गोढ़ी, सा0– दे हके नाम से पंजी– II में दर्ज है। जिसमें आवेदक को बंटननामा के आधार पर रकवा 08 कट्ठा 03½ धूर जमीन प्राप्त है। उक्त भूमि में से मौजा महाराजपुर

Scanned with OKEN Scanner

बाजार, जमाबंदी नं0–13, दाग नं0– 366/70 का आंशिक रकवा 03 कट्ठा जमीन किरण देवी, पति– कन्हैया महतो, सा0– नयाटोला, कल्याणी, थाना– तालझारी, जिला– साहेबगंज के पास बिक्री करना चाहते हैं। प्रस्तावित क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। बिक्री करने के बाद आवेदक के पास मौजा महाराजपुर बाजार, जमाबंदी नं0– 13 दाग नं0– 366/70, रकवा 05 कट्ठा 03½ धूर जमीन शेष बचता है। बिक्री करने से आवेदक भूमिहीन नहीं होगा।

अंचल अधिकारी, तालझारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन तथा माननीय आयुक्त, संथाल परगना के पत्रांक 415/R दिनांक 12 मई 1903 के कंडिका 2(b) के अनुसारः–

Your Heir are entitled to succeed you, you may sell your holding and the buildings on it to any person appoved by the Deputy Comissioner and a mutation fee may be levied on such Transfer: but it you transfer your holding without authority, the unecnagised occupier will be liable to eviction.

उपर्युक्त पत्र में महाराजपुर बाजार को कंडिका 2(b) के दायरे में रखा गया है।

वर्तमान वाद में हक/स्वत्व के गुण दोषों पर विचार किए बिना हस्तांतरण की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

Digitally signed by Bimal Soren
Date: 2024.07.23 12:58:21 +05:30
Location: 192.168.0.140

Scanned with OKEN Scanner